कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ

[illegible] 2019/16135/[illegible]/417/7/[illegible] दिनांक: [illegible] 01 2019

[illegible]

प्रबन्धक,
कमल दिल्ली पब्लिक [illegible]
बंथरा, कानपुर रोड लखनऊ।

विषय: [illegible] दिल्ली पब्लिक [illegible] स्कूल, बंथरा, कानपुर रोड लखनऊ स्कूल भवन को अग्नि सुरक्षा [illegible] नवीनीकृत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया आप अपने आवेदन दिनांक [illegible] 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो [illegible] है [illegible]

उक्त विषयक स्कूल भवन [illegible] इस कार्यालय के [illegible] पत्र दिनांक 03-9-2009 के द्वारा [illegible] छात्र/छात्राओं [illegible] अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, सरोजनीनगर द्वारा [illegible] किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

भवन की संरचना:-

1- स्कूल भवन का कुल प्लाट एरिया-480.00 वर्गमीटर है स्कूल भवन भूतल व प्रथम तल का निर्मित है।

3- स्कूल भवन में 1.50 मीटर चौड़ी सीढ़ी उपलब्ध है।

4- स्कूल भवन में अग्नि सुरक्षा हेतु फायर एक्सटिंग्यूशर क्रियाशील दशा में उपलब्ध है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ की संस्तुति के आधार पर [illegible] बंथरा, कानपुर रोड, लखनऊ भवन में अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का नवीनीकृत अनापत्ति [illegible] शर्तों के आधार पर निर्गत किया जाता है।

1- [illegible] को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को [illegible] [illegible] हेतु [illegible] जाये तथा [illegible] के अनुरक्षण [illegible] दशा में रखा जाये।

2- [illegible] अग्निशमन [illegible] के संचालन हेतु प्रशिक्षित [illegible] नियुक्त किया जाये।

[illegible] निर्माण कार्य [illegible] पूर्व [illegible] विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र [illegible]

[illegible] अग्नि [illegible] व्यवस्थाओं [illegible] सूचना [illegible]

[illegible] किया जाये।

[illegible] भवन [illegible] सुरक्षा [illegible] प्रदान किया जाये।

6- [illegible] अग्निशमन विभाग से भवन [illegible] फायर [illegible] तथा [illegible] प्रोटेक्शन सिस्टम [illegible] प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7- विद्यालय भवन के जिस कक्ष में एक ही दरवाजा लगा है उन कक्षों में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को [illegible] जायेगा।

8- विद्यालय में [illegible] ई0 [illegible] आदि [illegible] निकास [illegible] अथवा पक्के निर्माण [illegible] जायेगा।

9- विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।

10 भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के [illegible] के [illegible] लापरवाही के कारण फायर [illegible] अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

11- विद्युत भार की क्षमता का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

12- उक्त शर्तों/निर्देशों का उल्लंघन होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र [illegible] से निरस्त समझा जायेगा।

(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ।

प्रतिलिपि:-
अग्निशमन अधिकारी, सरोजनीनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Principal
KAMAL DELHI PUBLIC SCHOOL
Banthara Lucknow

Sanjay
Manager
KAMAL DELHI PUBLIC SCHOOL
Banthara Lucknow